"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक. जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 नवम्बर; 2002—कार्तिक 24, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

क्रमांक 2614/2200/साप्रवि/2002/1/2/लीव.—श्री अवध बिहारी, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 19-7-2002 से 3-8-2002 (16 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 4-8-2002 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. श्री अवध बिहारी, को अवकाश के लौटने पर, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग में अस्थाई रूप में आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बिहारी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

4. अवकाश की अवधि में श्री बिहारी को अवकाश वेतन व भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ-ए-3-8/2001/साप्रवि/1.—राज्य शासन छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्यसभा के वर्तमान में ऐसे संसद सदस्य जो पूर्व में अविभाजित राज्य में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, को भी राज्य के मंत्री के समान निम्नानुसार सुविधायें प्रदान करता है :—

स. क्र. (1)	पद संख्या (2)	पद की संख्या (3)
1.	विशेष सहायक	01
2.	निज सहायक	01
3.	सहायक ग्रेड-3	01
4.	गनमैन	01
5.	भृत्य	03
6.	वाहन चालक	02
7.	एम्बेसडर कार वाहन	01
8.	पेट्रोल	250 लीटर प्रतिमाह.
9.	चिकित्सा सुविधा	निःशुल्क
10.	आवास	किरायामुक्त सुसज्जित आवास.
11.	आवास की साज सज्जा	रु. 35,000/- सीमा तक व्यय.
12.	टेलीफोन	एक (एस.टी.डी. सुविधा युक्त एवं एक बिना एस. टी. डी. सुविधा के व्यय सीमा रुपये 20,000/- प्रतिमाह).
13.	बिजली	रुपये 3000/- (तीन हजार) तक.
14.	प्रदेश में यात्रा करने पर संबंधित स्थानों पर उसके प्रति उचित सौजन्यता (कटसी) प्रदर्शित की जाना.	रेस्ट हाऊस/सर्किट हाऊस में निःशुल्क रूप से ठहरने की सुविधा.
15.	रेल यात्रा सुविधा	उच्च शा. अर्द्धपेक्षा के द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बे में या वातानुकूलित कोच में एक कुपे या द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान (ए. सी. स्लीपर कोच) में दो बर्थ.
16.	शिष्टाचार एवं सुरक्षा व्यवस्था.	केबीनेट मंत्री के अनुरूप शिष्टाचार सुविधा सुरक्षा व्यवस्था.

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 260/CR/1161/8-5/F 2002, दिनांक 3-10-2002 द्वारा महालेखाकार, रायपुर को पृष्ठांकित की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2002

क्रमांक 6641/2080/21-ब (छ.ग.).—राज्य शासन एतद्द्वारा

श्री पी. के. सी. तिवारी नोटरी, राजनांदगांव के निवेदन पर कि वे नोटरी का व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, नोटरी अधिनियम 1956 की धारा 10 की उपधारा (ए) के तहत उनका नाम नोटरी रजिस्टर से हटाया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2002

क्रमांक डी-4648/1992, 1995/आजाक/02.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति सलाहकार मण्डल अधिसूचना क्रमांक डी-173/एस. टी./2000, दिनांक 5-12-2000, क्रमांक 2472/आजाक/01, दिनांक 23-8-2001, क्रमांक डी-6013/4730/आजाक/2001, दिनांक 1-1-2002 एवं क्रमांक डी-430/179/आजाक/2002, दिनांक 31-1-2002 के अनुक्रम में निम्नांकित दो सदस्यों का नाम अनुसूचित जाति सलाहकार मण्डल हेतु मनोनयन किया जाता है :—

स. क्र. (1)	नाम (2)	पता (3)
1.	श्री राजकुमार रामटेके	जनता कॉलोनी, डॉ. अम्बेडकर मूर्ति के पास, कुंभारे चौक, गुढ़ियारी, रायपुर (छ. ग.).
2.	श्री पी. टी. वासनिक	काशीराम नगर, रायपुर (छ. ग.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2002

क्रमांक 2513/1504/2002/वा.उ..—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, की जांजगीर-चांपा एवं रायपुर स्थित इकाईयों को बोर्ड फॉर इण्डस्ट्रीयल एंड फाइनेंसियल रिकन्स्ट्रक्शन (बी.आई.एफ.आर.), नई दिल्ली द्वारा Sick Industrial Companies Act, 1985 के तहत बीमार इकाई घोषित किया गया है. अत: राज्य शासन म. प्र. सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1979 (क्रमांक 32 सन् 1978 की धारा 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इन इकाईयों को एक वर्ष की कालावधि के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक की अवधि के लिए सशर्त सहायता उपक्रम घोषित किया जाता है.

मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के उपरोक्त दोनों इकाईयों को राज्य शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा अमान्य करने पर उक्त सहायता उपक्रम अधिनियम के अंतर्गत किसी भी सुविधा की पात्रता नहीं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2002

क्रमांक 2514/1504/2002/वा. उ..—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2513/1504/2002/वा. उ., दिनांक 11-10-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 11th October 2002

No. 2513/1504/2002/वा. उ./.—Whereas the State Government is satisfied that the Board for Industrial and Financial Reconstruction, New Delhi has declared the unites of M/s. Prakash Industries Limited namely :—

(1) M/s. Prakash Industries Limited, Janjgir-Champa.

(2) M/s. Prakash Industries Limited, Raipur, as the Sick Industries under Sick Industrial Companies Act, 1985.

Therefore, in exercise of powers conferred by the provision to section 3 of the Madhya Pradesh Sahayata Upkram (Vishesh Upbandh) Sansodhan Adhiniyam, 1978 (No. 32 of 1978) the State Government hereby declare the industrial units namely Prakash Industries Limited, units located as Janjgir-Champa and Raipur as relief undertaking for a period of one year with effect from 1st April, 2002 to 31st March, 2003 under the following condition—

If the High Power, Committee as may be constituted by the State Government refuse to declare the above two units of M/s. Prakash Industries Limited, as the relief undertaking, then these units under the said Act will not be eligible for any relief.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. K. TIWARI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ-16-13-11-वा. उ./2001.—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि बेकारी का निवारण करने तथा बेकारी से राहत प्रदान करने और संबंधित उपक्रम के कार्यरत श्रमिक वर्ग के हितों की सुरक्षा करने के उपाय के तौर पर औद्योगिक इकाई अर्थात् अम्बूजा सीमेन्ट ईस्टर्न लि. (पूर्व नाम मोदी सीमेंट लि.) रायपुर को चालू रखने में समर्थ बनाने की दृष्टि से उक्त औद्योगिक इकाई को सहायता उपक्रम घोषित करना लोक हित में तथा श्रमिकों के हित में आवश्यक तथा समीचीन है.

2. अतएव मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1979 (क्रमांक 32 सन् 1978) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन औद्योगिक इकाई अर्थात् "अम्बूजा सीमेन्ट ईस्टर्न लि. (पूर्व नाम मोदी सीमेंट लि.) रायपुर" को दिनांक 1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक एक वर्ष की कालावधि के लिए निम्न शर्ताधीन सहायता उपक्रम घोषित करता है :—

1. रायल्टी तथा खनिज क्षेत्र विकास उपकर की शेष राशि निर्धारित वार्षिक किश्तों में जमा की जायेगी.
2. विद्युत देयकों का समय पर भुगतान किया जावेगा.
3. वाणिज्यक कर विभाग की शेष बकाया राशि रुपये 196.00 लाख दिनांक 31-3-2003 तक जमा की जावेगी.

उपरोक्त शर्तों के पालन की सूचना औद्योगिक इकाई द्वारा समय-समय पर विभाग को देनी होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. पाण्डे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ-16-13-11-वा. उ./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-16-13-11-वा. उ./2001 दिनांक 18-10-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. पाण्डे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 18th October 2002

No. F-16-13-11/2001.—Whereas the State Government is satisfied that it is necessary as well as expedient in the Public Interest and in the interest of workers to declare the Industrial Unit, namely Ambuja Cement Eastern Ltd., formerly Modi Cement Ltd., Raipur, a relief undertaking with a view to enabling the continued running of Industrial Unit as a measure of preventing and of providing relief against unemployment and also to safeguard the interest of the labour working in the said Industrial Unit.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the provision to Section 3 of the Madhya Pradesh Sahayata Upkram (Vishesh Upbandh) Sansodhan adhiniyam 1978 (No. 32 of 1978) the State Government hereby declare the Industrial Unit Namely "AMBUJA CEMENT EASTERN LTD., (Formerly Modi Cement Ltd.), Raipur" a relief undertaking for a further period of one year with effect from 1st April, 2002 to 31st March, 2003 under the following terms and conditions :—

1. Payment due on Royalty and Mining area development cess will be paid in prescribed annual installments.
2. Electricity bill will be paid in time.
3. Payment of Rs. 196.00 lakhs due on Sales Tax department will be paid upto 31-3-2003.

The unit will timely intimate fulfilment of conditions to the department.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. K. PANDE, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2002

क्रमांक 2575/1495/2002/11/वा. उ.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कोरबा (पूर्व) के बायलर क्रमांक एम. पी./3434 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 15-9-2002 से दिनांक 14-12-2002 तक के लिए तीन माह की छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक,

वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बॉयलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. पाण्डे, संयुक्त सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 5-7/99/खाद्य/29.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 86) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित व्यक्ति को उनके नाम के सामने दर्शाये गये जिला उपभोक्ता फोरम में पदभार ग्रहण करने के दिनांक से सदस्य के रूप में नियुक्त करता है :—

अनुक्रमांक (1)	नाम (2)	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम (3)
1.	श्री हिमांशु कुमार आ. श्री प्रकाश भाई ग्राम कंवलनार, जिला दंतेवाड़ा.	जिला उपभोक्ता फोरम, दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 5-7/99/खाद्य/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 अक्टूबर, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 11th October 2002

No. F 5-3/Food/2002/29.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1-A) of section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) the State Government on the recommendation of the selection Committee hereby appoints the following person as the member in the District Forum as shown against his name with effect from the date his taking over the charge of the office :—

S. No. (1)	Name (2)	District Consumer Forum (3)
1.	Shri Himanshu Kumar. S/o. Prakash Bhai Post Kanwalnar, Distt. Dantewada.	Distt. Consumer Forum Dantewada.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOHAR PANDE, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 5-15/2001/खाद्य/29.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 86) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित व्यक्ति को उनके नाम के सामने दर्शाये गये जिला उपभोक्ता फोरम में उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से सदस्य के रूप में नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	नाम (2)	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम (3)
1.	श्री रघुनाथ प्रसाद दुबे आ. स्व. रामेश्वर प्रसाद दुबे लाजपतराय नगर, मारवाड़ी लाईन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़.	जिला उपभोक्ता फोरम, बिलासपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 5-15/2001/खाद्य/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 24th October 2002

No. F 5-15/Food/2001/29.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1-A) of section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) the State Government on the recommendation of the selection Committee hereby appoints the following person as the member in the District Forum as shown against his name with effect from the date his taking over the charge of the office :—

S. No. (1)	Name (2)	District Consumer Forum (3)
1.	Shri Raghunath Prasad Dube S/o. Late Rameshwar Prasad Dube, Lajpatrai Nagar, Marwari Line, Bilaspur, (C.G.).	Distt. Consumer Forum Bilaspur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOHAR PANDE, Joint Secretary.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 679/आउशि/नि.क्षे.वि./02.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "इण्डियन यूनिवर्सिटी, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

2. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर में होगा.

3. राज्य शासन एतद्द्वारा "इण्डियन यूनिवर्सिटी, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पात्रोपाधि एवं सम्मान देने की मान्यता या अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम के अंतर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 11th October 2002

No.F. 679/आउशि/नि.क्षे.वि./02.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman), Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "Indian University, Raipur" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

2. The Head Office of the University shall be at Raipur.

3. The State Government, hereby, authorises "Indian University, Raipur" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognised or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2002

क्रमांक 1908/डी-15/55/2002/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य की रायपुर, रायगढ़ एवं पत्थलगांव मंडी क्षेत्रों में विक्रय हेतु लाई गई या क्रय की गई या लाई गई या विक्रय की गयी फल-सब्जी पर मण्डी शुल्क के भुगतान से प्रकाशन तिथि से पूर्णतः छूट देती है.

Raipur, the 8th November 2002

No. 1908/D-15/55/2002/14-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby exempt the payment of full market fees from the date of notification on the sale or purchase or brought or sold of fruits and vegetables in Raipur, Raigarh and Pathalgaon mandi areas in the State.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 9-99/गृह/2002.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 26-7-2002 को प्रश्न-पत्र "प्रक्रिया तथा लेखा प्रश्न-पत्र-3" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	रायपुर-संभाग	
1.	श्री आनंद कुदरया	वन क्षेत्रपाल
2.	श्री राजेन्द्र कुमार सोरी	वन क्षेत्रपाल
3.	श्री उमेश कुमार सिंह	वन क्षेत्रपाल
	बिलासपुर-संभाग	
1.	श्री अनिल कुमार सिंह	वन क्षेत्रपाल

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 9-58/गृह/2002.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 22 जुलाई, 2002 को प्रश्न-पत्र "दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया प्रश्न-पत्र-1" (पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) एवं द्वितीय प्रश्न-पत्र में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्च स्तर	
	बिलासपुर-संभाग	
1.	कु. शाहला निगार	सहायक कलेक्टर
	निम्न स्तर	
	बिलासपुर-संभाग	
1.	श्री प्रेमदास मिरे	नायब तहसीलदार

2. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न-पत्र में अपेक्षित अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उक्त प्रश्न-पत्र में आगामी परीक्षाओं में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

(1)	(2)	(3)
	रायपुर-संभाग	
1.	श्री फिरतुराम साहू	राजस्व निरीक्षक प्रथम उच्च स्तर.
2.	श्री तुलाराम पाल	राजस्व निरीक्षक प्रथम उच्च स्तर.
3.	श्री कृपाराम सिंहा	राजस्व निरीक्षक प्रथम उच्च स्तर.
	बस्तर-संभाग	
4.	श्री दयाराम कश्यप	नायब तहसीलदार प्रथम निम्न स्तर.
5.	श्री महेन्द्र सिंह साहू	राजस्व निरीक्षक प्रथम निम्न स्तर.
	बिलासपुर-संभाग	
6.	श्री हेमनारायण ध्रुवा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख प्रथम उच्च स्तर.

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 9-85/गृह/2002.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई 2002 को प्रश्न-पत्र लेखा प्रथम (बिना पुस्तकों के) द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्च स्तर	
	बस्तर-संभाग	
1.	श्री महेशराम मरकाम	परियोजना अधिकारी
	बिलासपुर-संभाग	
2.	श्रीमती लता सिंह	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.
3.	श्रीमती शांता सरोज एक्का	सहायक निर्देशिका
4.	श्रीमती सुबानी मिंज	परियोजना अधिकारी
5.	श्रीमती शैल नाविक	पर्यवेक्षिका
6.	श्रीमती सुशीला बाखला	परियोजना अधिकारी
7.	श्रीमती प्रभा लकड़ा	परियोजना अधिकारी
8.	श्रीमती आनंद प्रकाश किसपोट्टा.	जिला महिला बाल विकास अधिकारी.
	निम्न स्तर	
	रायपुर-संभाग	
1.	श्रीमती कुन्ती कुशरे	सहायक महिला बाल वि. वि. अधिकारी.
	बस्तर-संभाग	
2.	श्री जोहतरीन गौतम	पर्यवेक्षक
3.	श्रीमती कलावती शुक्ला	पर्यवेक्षिका
4.	श्रीमती विनीता मालवीय	पर्यवेक्षिका
	बिलासपुर-संभाग	
5.	श्रीमती उर्सेला टोप्पो	सहायक म. बा. वि. वि. अधिकारी.
6.	श्रीमती शीला एक्का	पर्यवेक्षिका
7.	श्रीमती एलिजाबेथ टोप्पो	सहा. म. बाल वि. वि. अधिकारी.

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 9-92/गृह/2002.—पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 26 जुलाई 2002 को प्रश्न-पत्र लेखा प्रथम (बिना पुस्तकों के) द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्च स्तर	
	रायपुर-संभाग	
1.	डॉ. अविनाश शुक्ला	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
	बिलासपुर-संभाग	
2.	डॉ. आलोक कुमार दीक्षित	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
3.	डॉ. बृजवासी प्रसाद सतनामी	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी.
4.	डॉ. मदन मोहन अहिरवार	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
5.	डॉ. रविन्द्र कुमार डहरिया	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
6.	श्री ब्रजभूषण मरकाम	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 26 सितम्बर 2002

क्रमांक 11153/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	पचपेड़ी प. ह. नं. 58/11	2.19	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव.	सेम्हरा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 सितम्बर 2002

क्रमांक 11154/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	सेम्हरा प. ह. नं. 67	10.16	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव.	सेम्हरा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 अक्टूबर 2002

क्रमांक 11906/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	सेम्हरादैहान प. ह. नं. 12	10.47	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव.	सेम्हरा जलाशय योजना के नहर नाली के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 10 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/30.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कोरबा प. ह. नं. 4	0.081	कार्यपालन यंत्री, हसेदव बैराज जल प्रबंध संभाग, रामपुर, कोरबा.	बायीं तट नहर के अंतर्गत नहर निर्माण एवं बोल्डर पींचिग.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसेदव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 1718/रीडर/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कांकेर	भानुप्रतापपुर	सिहारी	4.79	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कांकेर.	दियागांव जलाशय निर्माण के तहत नहर नाली निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 1719/रीडर/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कांकेर	भानुप्रतापपुर	दियागांव	5.30	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कांकेर.	दियागांव जलाशय योजना के तहत नहर नाली निर्माण.

कांकेर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 1720/रीडर/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कांकेर	भानुप्रतापपुर	मदले	1.07	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कांकेर.	दियागांव जलाशय योजना के तहत नहर नाली निर्माण.

कांकेर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/1701/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कांकेर	कांकेर	गौरगांव	1.48	अनुविभागीय अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, कांकेर.	उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/646.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	सरवानी प. ह. नं. 5	2.262	कार्यपालन यंत्री, मिनी माता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5 खरसिया.	सरवानी वितरक नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/647.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	भेड़ापाली प. ह. नं. 6	2.622	कार्यपालन यंत्री, मिनी माता बांगो नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया.	भेड़ापाली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/648.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	मल्दाकला प. ह. नं. 23	0.311	कार्यपालन यंत्री, मिनी माता बांगो नहर संभाग क्रमांक 2, चाम्पा.	किकिरदा माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/649.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा	अमरूवा प. ह. नं. 5	0.296	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	अमरूवा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/650.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा	मोहगांव प. ह. नं. 12	1.647	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	लखाली डि. ब्यू. नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/651.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	घुठिया प. ह. नं. 1	0.922	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	धनेली वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/652.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जांजगीर	जांजगीर प. ह. नं. 41	0.069	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	निरीक्षण भवन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/653.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	सरहर प. ह. नं. 16	1.329	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	सरहर माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/654.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	तलवा प. ह. नं. 1	1.217	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	तलवा सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/655.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	रायपुरा प. ह. नं. 2	2.244	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	तांदुलडीह माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/656.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	सिरली प. ह. नं. 2	2.861	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नगर संभाग क्र. 6, सक्ती.	गोरखापाली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/657.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	सिरली प. ह. नं. 2	0.606	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6 सक्ती.	बसंतपुर सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/658.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	हरदी प. ह. नं. 2	0.775	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नगर संभाग क्र. 6, सक्ती	बसंतपुर सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 1717/रीडर/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सिहारी, (दियागांव जलाशय)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-29.602 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
197/1	0.481
114	0.979
115/1	5.105
113	5.489
201/1 ख	0.809
199	0.919
108	1.396
90/2	0.365
107	3.988
106/3	0.202
106/2	0.202
110	0.834
112	1.008
97	4.048
93	0.769
91	0.401
92/2	3.384
92/1	0.182
योग	29.602

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-दियागांव जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 18 जुलाई 2002

क्रमांक 5919/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कारूटोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-45.49 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
73/2	1.35

(1)	(2)
74	1.25
75	3.20
76/2	2.50
77	0.35
79/1	0.50
135/3	4.25
364	0.04
366	0.02
367	0.29
368	0.22
369	0.35
253	0.32
360	0.38
299/2	0.13
117	1.26
118	0.60
119	4.50
133	2.80
135/1	3.00
135/2	5.00
137/3	0.19
137/7	0.41
137/12	0.29
137/16	0.14
137/17	0.14
355/1	0.79
358	0.41
262	0.02
363	0.02
134	0.50
136	2.87
138	0.13
139	3.31
140	1.80
116	0.25
300	0.18
303/2	0.07
304	0.07
305	0.41
309	0.27
376	0.61
258	0.29
362/2	0.01
योग	45.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कारूटोला जलाशय एवं नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जुलाई 2002

क्रमांक 5920/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-तोरनकट्टा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
29/1	0.10
19	0.15
40	0.45
34	0.05
योग 4	0.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-तोरनकट्टा उद्वहन नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जुलाई 2002

क्रमांक 5921/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-आरला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.87 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	232/9	0.35
	232/13	0.10
	24/2	0.20
	60/2	0.10
	24/3	0.12
योग	5	0.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पारीखुर्द उप नहर नाली एवं मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-बुढ़ानभाठ, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.01 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	426	0.17
	427	0.17
	428/1	0.10
	428/2	0.15
	425/3	0.35
	425/4	0.43
	419/2	0.07
	417/1	0.16
	416/1	0.14
	430	0.01
	431	0.03
	432/2	0.05
	416/2	0.18
योग		2.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पिपरिया जलाशय के अंतर्गत बुढ़ानभाठ माइनर (नं. 2 व 3) नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/2002/10645.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

राजनांदगांव, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/2002/10646.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-खैरागढ़

(ग) नगर/ग्राम-दिलीपपुर, प. ह. नं. 38/22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.98 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
140/1	0.41
317/13	0.54
349	0.03
योग	0.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-पिपरिया जलाशय के अंतर्गत ढोलिहा कन्हार माइनर नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/2002/10647.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-खैरागढ़

(ग) नगर/ग्राम-भूलाटोला, प. ह. नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
731/1	0.01
732	0.09
733	0.02
735	0.10
योग	0.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-पिपरिया जलाशय के अंतर्गत बाजगुड़ा माइनर नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/2002/10648.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-खैरागढ़

(ग) नगर/ग्राम-कुलीकसा, प. ह. नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
302	0.06
योग	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-पिपरिया जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/2002/10649.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पिपरिया, प. ह. नं. 19/1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.71 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
534/2	0.11
534/1	0.04
560	0.10
523	0.03
594	0.07
528	0.06
527	0.04
524	0.02
526	0.03
525/2	0.02
595	0.07
598	0.05
597	0.05
596	0.02
योग	0.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-पिपरिया जलाशय के अंतर्गत कांचरी माइनर नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/2002/10650.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मुढ़पार, प. ह. नं. 19/2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.13 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
7	0.15
8	0.38
59	0.16
154	0.09
61	0.08
60	0.24
168	0.06
114/1	0.20
113/1	0.07
109	0.09
178	0.13
176	0.10
177	0.11
175	0.28
174	0.10
78/2	0.07
78/1	0.07
78/3	0.07
78/4	0.07
173	0.02
167/1	0.02
167/2	0.03
79/2	0.10
151	0.12

(1)	(2)
223	0.44
57/2	0.14
54/3	0.22
62/2	0.15
56	0.10
55	0.14
54/2	0.13
योग	4.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-पिपरिया जलाशय के अंतर्गत मुढ़पार माइनर एवं सब-मांइनर नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/2002/10651.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-पद्मावतीपुर, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.59 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1219	0.27
1221	0.03
1220	0.13
1222	0.20
1216	0.02

(1)	(2)
1223	0.10
1215	0.18
1264/1	0.22
1267	0.13
1265/1	0.13
1269	0.05
1268/2	0.13
योग	1.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-पिपरिया जलाशय के अंतर्गत भुरसा माइनर के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/2002/10652.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-टेकापार, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.46 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
409/1	0.06
410	0.05
413/1	0.03
414	0.03
416/1	0.05

(1)	(2)
1507/1	0.11
1504	0.12
418	0.01
योग	0.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-पिपरिया जलाशय के अंतर्गत बाजगुड़ा माइनर एवं पेन्ड्री जल वितरिका नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/2002/10653.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-ढोलियाकन्हार, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.36 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
247	0.63
284	0.09
279	0.06
540	0.01
282	0.03
539	0.08
271	0.02
303	0.17
305	0.09
465	0.02
313	0.01
356	0.02
381	0.01
470	0.12
योग	1.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-पिपरिया जलाशय के अंतर्गत ढोलियाकन्हार माइनर नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/2002/10654.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कांचरी, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.38 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
424	0.40
423	0.16
489	0.03
427	0.08
428	0.16
429/1	0.16
402	0.08
406	0.08

(1)	(2)
347	0.15
403	0.11
400/2	0.17
302/2	0.19
400/3	0.13
395	0.04
302/1	0.10
313/1	0.03
310	0.08
306	0.05
308	0.19
307	0.04
323	0.06
472	0.03
470	0.19
346/3	0.07
471	0.17
334/1	0.04
335	0.07
336	0.07
381	0.14
426	0.03
346/4	0.07
346/1	0.01
योग	3.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-पिपरिया जलाशय के अंतर्गत कांचरी माइनर नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/2002/10655.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए [illegible]वश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् [illegible]) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि [illegible]मि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कातलवाही, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
189	0.02
240	0.03
199	0.12
232	0.01
236	0.03
237	0.04
योग	0.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-पिपरिया जलाशय के अंतर्गत पेण्ड्री माइनर एवं टेकाडीह सब-माइनर नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/2002/10656.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खपरीकलार, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.29 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
51/2	0.13
164/1	0.16
योग	0.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-पिपरिया जलाशय के अंतर्गत भुरसा एवं डोकराभाठा माइनर नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/प्र. क्र. 3/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 एवं सहपठित धारा 17 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-धनिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.138 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
183/2	0.008
183/3	0.024
184/1	0.146
188/1	0.012
188/2	0.186
189	0.024
191	0.004
192	0.551
193	0.045
230/1	0.170
230/2	0.024
231/2	0.105
232/1	0.109
232/2	0.324
233/1	0.057
233/2	0.012
233/3	0.020
234/1	0.190
234/2	0.057
234/3	0.008
234/4	0.073
234/5	0.024
235	0.004
236/3	0.057
236/4	0.008
236/6	0.061
236/8	0.190
264/1	0.045
264/2	0.154
264/3	0.024
264/8	0.004
264/9	0.004

(1)	(2)
266	0.036
273	0.513
274	0.004
276	0.069
277	0.174
278/2	0.065
286/2	0.008
286/3	0.073
286/5	0.040
287/1	0.040
287/2	0.105
287/3	0.085
287/5	0.097
288/1	0.101
288/2	0.004
योग 47	4.138

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी. सीपत परियोजना, एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/प्र. क्र. 4/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 एवं सहपठित धारा 17 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मस्तूरी

(ग) नगर/ग्राम- [illegible]

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.764 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
12/3	0.113
14/1	0.364
14/2	0.016
14/3	0.182
15/1	0.012
15/3	0.081
15/4	0.081
15/5	0.028
15/6	0.364
16/1	0.162
16/2	0.040
16/3	0.243
16/4	0.032
16/6	0.069
16/9	0.129
16/10	0.178
23	0.243
24/1	0.101
24/2	0.004
24/5	0.008
33	0.032
34/1	0.567
34/2	0.405
34/3	0.065
35	0.113
36/1	0.162
36/7	0.008
64	0.024
65/1	0.121
65/4	0.178
65/5	0.291
65/6	0.162
65/7	0.057
65/8	0.004
70/12	0.008
70/18	0.049
70/19	0.032
70/20	0.032
70/21	0.004
योग 39	4.764

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी. सीपत परियोजना, एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/प्र. क्र. 5/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 एवं सहपठित धारा 17 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मस्तूरी

(ग) नगर/ग्राम-मड़ई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.862 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
89	0.008
90	0.004
91/1	0.028
91/2	0.178
92	0.045
93/1	0.154
93/2	0.012
96/2	0.142
96/3	0.020
98/2	0.024
98/1	0.004
100	0.004
101	0.028
102/1	0.182
102/2	0.121
103/1	0.150
103/2	0.061
103/3	0.040
104, 117	0.020
105	0.146
106/1	0.085
106/2	0.093
223/1	0.101
223/3	0.012
225	0.121
224	0.008
226	0.202
227	0.182
228/1	0.049
228/2	0.020
244	0.004
245	0.069
246	0.324
247	0.061
249/1	0.162
249/2	0.162
249/3	0.012
249/4	0.061
250	0.053
259	0.008
472/1, 474/1, 475/1	0.004
472/2, 474/2, 475/2	0.004
1111	0.045
1112	0.089
1113/2	0.073
1113/3	0.008
1113/4	0.073
1113/5	0.004
1128	0.004
1129/1	0.020
1129/2	0.121
1130	0.117
1131	0.154
1132	0.004
1137	0.008
1138/1	0.202
1139	0.182

(1)	(2)
1140/1	0.142
1140/2	0.008
1140/3	0.040
1145/1	0.239
1145/2	0.121
1146	0.008
1147	0.032
योग 59	4.862

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी. सीपत परियोजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/प्र. क्र. 6 /अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 एवं सहपठित धारा 17 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-खांडा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.008 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
272/1	0.745
272/3	0.016
277/1	0.016
277/2	0.008
277/3	0.142
278/1	0.364
278/2	0.081
286/4	0.332
286/5	0.061
286/6	0.040
287/2	0.121
287/3 287/10	0.259
287/6	0.324
287/11	0.028
288	0.057
304/2	0.251
307/1	0.024
307/2	0.121
307/3	0.081
307/5	0.008
308/2	0.057
309/1	0.121
309/2	0.113
346/1	0.008
346/3	0.065
347/1	0.036
352	0.032
353/1	0.129
353/2	0.134
354	0.069
355/1	0.032
356/1	0.004
356/2	0.129
योग 33	4.008

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी. सीपत परियोजना, एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/प्र. क्र. 13 /अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 एवं सहपठित धारा 17 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मस्तूरी

(ग) नगर/ग्राम-कुकदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.298 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10/1	0.024
10/2	0.008
11	0.004
62	0.129
67	0.073
68	0.24
76/2	0.016
77	0.020
योग 8	0.298

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी. सीपत परियोजना, एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/प्र. क्र. 14/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 एवं सहपठित धारा 17 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मस्तूरी

(ग) नगर/ग्राम-दवनडीह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.638 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
78/1	0.263
78/2	0.020
78/3	0.162
78/5	0.020
78/6	0.332
79	0.138
80/1	0.146
80/2	0.162
80/3	0.032
82	0.162
83/2	
83/1	0.324
83/3	0.121
84/1	0.097
84/2	0.081
87/1	0.138
88/1	0.073
88/2	0.057
90/9	0.032
90/10	0.113
90/17	0.202
90/18	0.267
90/21	0.304
90/22	0.219
90/23	0.004
101/1	0.004
132/1	0.105
132/2	0.405
132/3	0.291
132/4	0.364
योग 29	4.638

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी. सीपत परियोजना, एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/प्र. क्र. 15 /अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 एवं सहपठित धारा 17 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-बनियाडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.477 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
588/1	0.186
588/3	0.283
588/5	0.170
596	0.008
598	0.032
602/1	0.073
603	0.194
604	0.129
605	0.008
607/6	0.085
607/7	0.020
641	0.008
643	0.170
644	0.218
645	0.016
647	0.154
648	0.020
649/1	0.057
649/2	0.073
650/1	0.049
650/2	0.012
651/1	0.069
651/2	0.004
662/1	0.016
662/2	0.008
663	0.053
665	0.024
666	0.008
667	0.065
668	0.085
669	0.121
670	0.146
671	0.032
673	0.004
674	0.061
675	0.061
676	0.085
677/1	0.020
682	0.004
684	0.032
685	0.134
686	0.024
687	0.178
688/2	0.008
688/3	0.085
689	0.024
690/2	0.004
690/3	0.012
694	0.097
741	0.004
742/2	0.040
742/3	0.004
योग 52	3.477

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी. सीपत परियोजना, एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/प्र. क्र. 16 /अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 एवं सहपठित धारा 17 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-खम्हरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.539 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.182
2	0.154
3	0.186
4/1	0.081
4/3	0.162
5/1	0.081
5/3	0.065
5/4	0.567
210/2	0.061
योग 9	1.539

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी. सीपत परियोजना, एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/प्र. क्र. 17/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 एवं सहपठित धारा 17 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-कौडिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.525 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
513/1	0.162
513/2	0.129
513/3	0.223
513/5	0.004
513/6	0.004
513/7	0.129
514/1	0.061
514/2	0.004
516	0.008
521	0.004
522	
523	0.445
524/1	0.040
524/3	0.069
525	0.243
योग 14	1.525

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी. सीपत परियोजना, एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/प्र. क्र. 18/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 एवं सहपठित धारा 17 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-उड़ागी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.713 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3	0.016
	4	0.162
	5	0.045
	19	0.097
	21	0.146
	22/1	0.008
	22/2	0.170
	23/2	0.004
	23/3	0.016
	90/1	0.049
योग	10	0.713

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी. सीपत परियोजना, एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/प्र. क्र. 20/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 एवं सहपठित धारा 17 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-निरतू
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.098 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
199	0.453
308/2	0.316
309	0.008
310	0.024
311	0.113
436	0.020
437/1	0.024
437/2	0.040
453	0.445
459	0.065
461	0.101
462	0.089
463/2	0.020
463/3	0.028
463/4	0.032
463/5	0.032
463/7	0.040
463/10	0.016
464/1	0.073
464/4	0.069
464/5	0.008
465	0.016

(1)	(2)
481/4	0.121
481/8	0.012
481/16	0.028
481/17	0.028
481/18	0.081
481/19	0.081
481/20	0.012
481/21	0.049
481/25	0.008
481/30	0.154
484/2	0.081
485/1 ख	0.591
485/2	0.186
486/2	0.032
491	0.542
492/12	0.032
492/5	0.004
492/9	0.020
492/11	0.004
योग 41	4.098

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी. सीपत परियोजना, एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/प्र. क्र. 21/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 एवं सहपठित धारा 17 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मस्तूरी

(ग) नगर/ग्राम-बिटकुला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.220 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम बिटकुला	
1007/2, 1008/2	0.012
1022	0.032
1023	0.283
1024	0.004
1025/1	0.049
1025/3	0.045
1026/1	0.271
1026/2	0.170
1027	0.109
1028	0.004
1039	0.020
1040	0.008
1041	0.004
1061/1	0.020
1061/2	0.109
1061/3	0.081
1227/1	0.154
1227/2	0.008
1228/2	0.028
1229	0.016
1231/1	0.089
1231/2	0.008
1232	0.032
1234	0.129
1235/1	0.077
1235/2	0.045
1246	0.008
1247	0.020
1248	0.142
1249	0.069
1251	0.004
1252/1, 1252/2	0.028
1255	0.004
1256	0.129
1257	0.154
1258	0.004
1266	0.129
1267/1	0.134

(1)	(2)
1267/2	0.129
1268	0.081
1271	0.032
1273	0.158
1275	0.142
1276	0.032
1277	0.008
1308/1	0.073
1310	0.251
1311/1	0.004
1311/2	0.036
1312/1	0.089
1317/2	0.073
1354	0.045
1356	0.138
1357	0.008
1386	0.004
1387/1	0.073
1387/2	0.020
1391/1	0.004
1391/2	0.004
1391/3	0.097
1391/4	0.081
1391/5	0.069
1391/6	0.008
1392	0.073
1393	0.024
1394	0.040
1395	0.008
1398	0.089
1399	0.069
1400/1	0.065
1400/2	0.154
1401	0.008
1402/1	0.004
1402/2	0.150
1403 1404	0.012
1408	0.113
योग 76	5.100

महाल नं. 2 ग्राम खिटकुला

(1)	(2)
1264	0.004
1265 1266	0.004
1267/1	0.206
1267/2	0.219
1267/3	0.049
1267/4	0.089
1267/5	0.081
1267/6	0.020
1267/7	0.243
1267/8	0.065
1267/9	0.138
1267/10	0.073
1268/1	0.243
1268/2	0.020
1297/1	0.380
1297/2	0.004
1297/3	0.162
1297/4	0.105
1337/1 1337/2	0.162
1338	0.109
1339	0.057
1340	0.036
1342	0.004
1343	0.097
1344 1389	0.121
1345	0.405
1398/3	0.024
योग 27	3.120
कुल योग 103	8.220

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी. सीपत परियोजना, एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/प्र. क्र. 22/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 एवं सहपठित धारा 17 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-उसलापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.216 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
131/2	0.195
131/4	0.008
133/2	0.073
134/1	0.162
135/1	0.145
135/2	0.024
135/3	0.097
136	0.004
137	0.040
138	0.138
141/1	0.008
191/1, 192/1	0.004
191/2, 192/3	0.049
193/1	0.129
194	0.049
195/2	0.065
195/4	0.283
195/5	0.129
195/6	0.097
196/1	0.186
196/3	0.089
196/4	0.121
196/5	0.121
योग 23	2.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी. सीपत परियोजना, एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/प्र. क्र. 23/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 एवं सहपठित धारा 17 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-लुतरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.448 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
168	0.008
186	0.004
187, 188	0.020
189	0.049
191/2	0.004
192	0.061
193	0.097

(1)	(2)
194/2	0.008
195	0.020
196	0.008
197/1	0.028
197/2	0.174
197/3	0.121
197/4	0.020
197/5	0.040
198	0.012
201	0.117
202/1	0.020
202/2	0.117
202/3	0.020
205	0.065
206	0.040
210/2	0.097
210/3	0.008
211/2	0.081
214	0.304
215	0.016
216	0.121
217	0.024
218	0.089
219	0.081
241	0.032
242	0.008
243	0.008
250/1	0.004
250/2	0.008
250/3	0.004
251	0.053
287	0.129
288	0.057
289	0.121
308	0.004
318	0.020
320/2	0.429
320/3	0.214
321	0.223
322	0.178
419	0.012
421	0.106
422	0.113
423	0.162
424/1	0.020
424/2	0.073
426/1	0.008
500	0.004
501	
506	0.101
507	0.020
508/2	0.121
508/1	0.202
509	0.040
512/1	0.053
512/4	0.028
512/2	0.004
518	0.008
523/1	0.097
524	0.162
525	0.008
532	0.004
533	0.053
534/1	0.089
534/2	0.162
535	0.045
535/2	0.040
536/1	0.081
536/2	0.024
537	0.125
538	0.061
539	0.024
540	0.028
541	0.004
योग 75	5.448

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी. सीपत परियोजना, एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/प्र. क्र. 24/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का संमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 एवं सहपठित धारा 17 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मस्तूरी
(ग) नगर/ग्राम-पिपरानार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.795 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
708	0.020
709	0.089
710	0.089
711/2	0.073
711/3	0.024
815	0.308
817	0.793
855, 856	0.008
857/2	0.040
858/1	0.376
858/2	0.032
858/3	0.502
858/4	0.275
859/1	0.016
859/2	0.016
861/2	0.004
862	0.008
863/5	0.008
863/7	0.086
868/1	0.008
869/1	0.032
871/1	0.016
872/1	0.061
868/2, 869/2	0.028
871/2	0.008
872/2	0.053
868/3, 869/3	0.028
871/3	0.008
872/3	0.053
870	0.162
873	0.004
874	0.032
875	0.304
876/1	0.020
876/2	0.073
877	0.129
878	0.097
879	0.081
881/3, 882/2	0.040
894	0.138
895	0.032
898/1	0.194
898/2	0.004
898/3	0.279
899/1, 899/2	0.219
899/3	0.040
900	0.182
901	0.020
902	0.081
903	0.364
915/1	0.020
915/2	0.324
916/1	0.126
916/2	0.065
916/3	0.065
917	0.162
921	0.016
922	0.040
923	0.097

	(1)	(2)
	924	0.032
	925	0.077
	926	0.113
	927	0.004
	928	0.073
	933	0.024
योग	56	6.795

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी. सीपत परियोजना, एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 23 अक्टूबर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/प्र. क्र. 3/अ-82/2001-2002/15388.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-रैंकी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.813 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
304/10	0.138
304/11	0.057
304/12	0.077
304/13	0.049
304/14	0.028
304/26	0.032
311/3 क, 311/6 क	0.138
312/4	0.081
317/1, 318/1	0.008
319/1	0.008
319/2	0.081
319/3	0.008
319/4	0.134
320/1	0.024
320/2	0.142
320/5	0.101
320/6	0.016
320/7	0.049
320/8	0.040
322/4	0.101
360/11	0.081
360/12	0.121
363/3	0.032
363/4	0.061
363/5	0.028
364/2	0.040
364/3	0.142
364/4	0.101
365/1	0.020
365/2	0.008
365/3	0.129
365/5	0.045
367/2 क	0.024
368/2	0.040
371	0.057
372	0.202
368/4	0.057
368/5	0.324
369/3	0.008

(1)	(2)
370/1	0.194
370/2	0.008
370/3	0.154
370/4	0.125
374/1	0.012
374/2	0.016
374/3	0.040
374/4	0.032
374/5	0.028
391/1	0.004
431/2/1	0.008
431/3	0.008
431/4	0.012
431/5	0.008
431/6	0.081
431/8	0.053
433/1	0.045
436/1	0.097
436/2	0.069
436/4	0.129
436/5	0.182
439/1	0.012
439/2	0.024
439/3	0.028
439/4	0.016
439/5	0.020
439/8	0.049
439/10	0.036
439/13	0.069
440/1	0.202
440/2	0.162
440/3	0.020
440/4	0.061
440/7	0.162
440/8	0.243
440/9	0.202
440/10	0.121
440/14	0.101
442/2	0.170
442/7	0.065
442/10	0.061
योग 75	5.961

(1)	(2)
आर. ओ. बी.	
330	0.040
331/3	0.016
332/3	0.028
333/1	0.032
333/2	0.049
342/2	0.032
349/1	0.081
349/5	0.020
349/12	0.032
349/13	0.008
367/1	0.069
367/2 ख	0.020
391/3	0.061
392/2	0.057
393/15	0.004
393/17	0.028
393/18	0.049
393/33	0.020
434/1	0.105
363/6	0.053
434/2	0.048
योग 19	0.852
कुल योग 94	6.813

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी. सीपत परियोजना, एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 अक्टूबर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/प्र. क्र. 4/अ-82/2001-2002/15386.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-झांझ
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.360 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
104/1	0.004
105	0.348
119	0.146
120	0.154
126/2	0.243
126/3	0.040
127	0.012
128/1	0.081
128/2	0.073
129	0.028
130	0.008
132	0.210
136	0.283
141	0.069
142	0.008
143	0.235
145/1	0.008
147	0.049
148	0.170
149/1	0.178
149/2	0.012
152	0.004
153	0.142
154/4	0.012
156/1 ख	0.259
156/1 ग	0.040
156/1 घ	0.081
156/1 छ	0.028
157/1	0.040
157/2	0.012
157/3	0.219
158	0.004
159/2	0.073
160	0.097
161	0.016
162	0.291
163	0.089
164/1	0.032
164/2	0.040
165	0.121
166	0.243
177/1	0.486
177/2	0.065
288/2	0.040
289/2	
305/1	0.032
306/1	0.004
307/1	0.081
307/2	0.121
308/1	0.016
308/2	0.020
309/1	0.162
309/2	0.040
310	0.085
311/1	0.016
311/2	0.154
319	0.020
320	0.291
321/1	0.020
321/2	0.028
322/1	0.008
322/2	0.129
322/3	0.073
322/4	0.049
322/5	0.049
252/1	0.024
353/1	0.210
353/2	0.061
354	0.077
355/1	0.101
355/2	0.061
356/2	0.028
359/1	0.008
359/3	0.045
360	0.113

(1)	(2)
361/1 क	0.150
361/1 ख	0.081
365	0.028
366	0.178
367	0.004
योग 77	7.360

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी. सीपत परियोजना, एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 अक्टूबर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/प्र. क्र. 5/अ-82/2001-2002/15389.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-पाली

(ग) नगर/ग्राम-सिरकी खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.264 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/5	0.145
6	0.101
7, 8/1	0.012
8/2	0.016
8/3	0.016
10/1	0.145
10/5	0.032
13/1	0.486
13/2	0.020
14/1, 14/5, 14/10	0.004
19/1	0.069
19/4	0.065
20/1	0.012
21	0.073
22/2	0.145
26	0.405
51/1	0.134
51/2	0.134
54	0.008
56	0.356
57	0.227
152	0.065
153/1	0.238
153/2	0.356
योग 24	3.264

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी. सीपत परियोजना, एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 अक्टूबर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/प्र. क्र. 6/अ-82/2001-2002/15390.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-पाली

(ग) नगर/ग्राम-रतिजा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.727 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
594/1 ज	0.162
594/1 त	0.081
594/1 थ	0.101
594/1 द	0.101
594/1 ध	0.101
594/1 न	0.101
594/1 प	0.020
594/1 फ	0.020
616/33	0.040
योग 9	0.727

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी. सीपत परियोजना, एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 अक्टूबर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/प्र. क्र. 7/अ-82/2001-2002/15385.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-पाली

(ग) नगर/ग्राम-सिरली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.267 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1064, 1065	0.020
1066, 1067	0.020
1068/1	0.040
1068/2	0.061
1070/2	0.008
1070/6	0.020
1074/4	0.061
1075/1	0.121
1075/2	0.081
1075/3	0.024
1076/1	0.024
1076/2	0.040
1076/3	0.024
1076/5	0.012
1077/1	0.008
1077/2	0.008
1077/3	0.012
1077/4	0.008
1079	0.016
1080/1	0.020
1080/2	0.016
1080/3	0.012
1080/4	0.020
1080/5	0.012
1080/6	0.008
1081/1	0.073
1081/2	0.210
1082	0.243
1083	0.045
योग 28	1.267

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी. सीपत परियोजना, एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 अक्टूबर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/प्र. क्र. 8/अ-82/2001-2002/15384.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-पाली

(ग) नगर/ग्राम-नेवसा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.720 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1 ग	0.178
1/1 घ	0.028
1/1 ङ	0.081
1/1 च	0.162
1/1 छ	0.218
1/1 ज	0.283
1/1 झ	0.089
1/1 ट	0.121
1/1 थ	0.142
24	1.663
25	
26	
27	
28	
29	

(1)	(2)
31/2	
31/3	
31/4	
36/1	
799	
800	
801	
802	
803	
804	
805	
806	
807	
808	
809	
810	
811	
812	
813	
814	
815	
816	
817	
818	
819	
820	
821	
822	
823	
824	
825	
826	
827	
828	
829	
830	
831	
832	
833	
834	
835	
836	

(1)	(2)
837	
838	
839	
840	
841	
842	
843	
844	
845	
846	
847	
848	
849	
850	
851	
852	
853	
854	
855	
856	
857	
858	
859	
860	
861	
862	
863	
864	
865	
866	
867	
868	
869	
870	
871	
872	
873	
874	
875	
876	
877	
878	
879	
880	
881	
882	
883	
884	
885	
886	
887	
888	
889	
890	
891	
892	
893	
894	
895	
896	
897	
898	
899	
900/2	
901	
903/2	
35/1	0.065
36/2	0.032
900/1 क	
37	0.421
38/1	0.146
38/2	0.146
39/2	0.089
42/3	
87/6	
40/1	0.283
41/1	
40/3	0.275
41/2	
42/7	0.425
42/8	0.032
87/9	0.283
87/13	0.170
88/2	0.020

(1)	(2)
900/1 ख	0.004
909/1	0.364
योग 25	5.720

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी. सीपत परियोजना, एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 अक्टूबर 2002

क्रमांक भू-अर्जन/प्र. क्र. 9/अ-82/2001-2002/15387.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-पाली

(ग) नगर/ग्राम-उतरदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.760 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
329/1 ख, 329/2	0.121
330/2	0.008
331	0.129
332/4, 350/6	0.113
332/5, 350/7	0.142
385	0.097
386	0.028
387	0.061
388	0.142
389	0.049
396	0.085
397/1	0.081
397/2	0.061
397/3	0.020
398/1	0.040
398/2	0.081
399/2	0.073
400/3	0.081
400/4	0.121
400/6	0.065
400/7	0.040
400/8	0.073
401/6	0.053
383/2, 402/1, 403/1	0.198
403/3	0.053
406/1	0.032
407/6	0.004
431/5	0.008
440	0.004
441	0.101
442/1	0.053
443	0.073
444	0.057
445	0.085
446	0.004
451	0.012
452	0.020
453	0.028
454	0.061
455	0.061
456	0.036
458	0.008
459	0.049
460	0.008
461/1	0.053
461/2	0.045
462	0.057

(1)	(2)
463/1	0.008
463/2	0.004
478/4	0.032
479/1	0.049
479/2	0.049
481	0.020
482	0.049
483	0.081
614	0.040
484	0.049
488/2	0.004
488/3	0.138
489/1	0.057
489/2	0.057
513/1	0.012
513/2	0.012
517	0.020
519	0.032
561	0.138
562/1	0.069
562/2	0.069
572/1	0.016
572/2	0.032
573/1	0.028
573/2	0.057
574/1	0.049
575	0.308
578/1	0.032
582	0.101
612	0.085
613/2	0.024
613/1	0.004
615	0.057
846/1	0.032
846/3	0.040
846/4	0.121
846/5	0.081
846/6	0.028
846/7	0.101
846/9	0.101
846/13	0.040
846/16	0.040
848	0.004
849	0.024
852	0.061
853	0.162
854/2	0.032
854/3	0.053

(1)	(2)
856	0.032
857	0.121
858	0.057
859/1	0.117
870/1	
859/2	0.028
870/2	
860	0.008
872	0.004
883/1	0.061
883/2	0.093
883/4	0.061
883/5	0.012
883/8	0.008
884/2	0.178
885/1	0.040
885/2	0.121
885/3	0.105
885/4	0.129
885/5	0.138
885/6	0.012
885/7	0.121
987/1	0.012
987/2	0.040
987/4	0.142
987/5	0.061
987/6	0.081
987/7	0.081
987/8	0.081
987/9	0.020
987/10	0.040
987/11	
988/1	0.372
989/1	
988/2	0.372
993	0.445
994	0.093
995/1	0.186
1001/2	0.085
1002	0.299
2367	0.008
2369	0.008

(1)	(2)
2370	0.089
2371/1	0.016
2371/2	0.028
2371/3	0.036
2371/4	0.049
2371/5	0.045
2371/6	0.053
2372	0.073
2378/1	0.178
2378/2	0.129
2396/1	0.053
2398/1	0.166
2398/2	0.073
2399	0.202
2449	0.121
2450	0.405
2452	0.194
2453/1	0.036
2453/2	0.040
2453/3	0.348
2454/2	0.470
2457/1	0.089
2457/2	0.121
2458	0.372
2459/1	0.081
2459/2	0.101
2460	0.251
2461	0.061
2462/1	0.121
2462/2	0.085
2462/3	0.036
2463	0.101
2464	0.081
2465/1	0.024
2469/1	0.405
2469/2	0.174
2470	0.324
2471/1	0.040
2471/2	0.045
2471/3	0.061
2471/4	0.040
2472	0.097
2473	0.045
2474	0.024
2475	0.008
2476	0.146
2477/1	0.012
2477/2	0.085
2480/2	0.004
2520/2	0.174
2520/3	0.215
399/1	0.065
984/7	0.020
योग 183	15.760

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-एन. टी. पी. सी. सीपत परियोजना, एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 659/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-चाम्पा
(ग) नगर/ग्राम-कोसमन्दा, प. ह. नं. 4
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.072 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा. (हेक्टेयर में) (2)
786	0.057
782/2	0.036
785	0.053
752 777/1	0.049
748/1	0.081
747	0.020
750	0.020
745/2 751	0.121
759	0.057
760	0.045
761	0.061
762/1	0.105
723/3	0.057
722/2	0.040
721/2	0.109
701/1	0.040
702/1	0.121
योग 17	1.072

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-फरसवानी उप शाखा के सिवनी माइनर नं. 2 निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 660/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.970 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1197	0.154
1219/1	0.036
1399/1	0.049
1219/3	0.036
1369/3	0.045
1376 1377	0.069
1380	0.024
1381	0.008
1383	0.016
1392	0.008
1394	0.045
1396	0.040
1400	0.020
1402/1	0.057
1404	0.129
1425/1	0.069
1425/2	0.069
1426	0.040
1427	0.012
1428/1	0.024
1429/1	0.012
1432/2	0.008
योग 22	0.970

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-सिरली सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 661/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-पलाड़ी खुर्द, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.547 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	729	0.061
	728	0.008
	731	0.057
	724	0.085
	732	0.008
	721, 722	0.008
	720	0.008
	1426	0.020
	718/1, 718/2	0.178
	719	0.069
	744	0.045
योग	11	0.547

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-महुआभाटा सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 662/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-बाराद्वार बस्ती, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.222 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
80/2	0.040
81	0.065
82	0.028
86	0.085
257/3	0.036
253	0.040
252	0.045
251	0.049
248/2	0.069
260	0.016
249/1	0.012
248/1	0.020
248/3	0.016
655	0.020
247	0.028
257/1	0.036
246	0.065
665	0.053
666	0.061
667	0.012

(1)	(2)
669	0.036
670	0.012
671	0.004
668	0.045
1597/2	0.032
1598	0.036
1599	0.036
1600	0.024
2375/1	0.028
1995	0.093
1601	0.008
674	0.008
675/2	0.012
704	0.008
705	0.016
664	0.024
261	0.004
योग 37	1.222

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-बाराद्वार बस्ती सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 663/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-बाराद्वार बस्ती, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.880 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2123/2, 3	0.012
2084	0.020
2081/3	0.024
2086/2	0.065
2085	0.073
594	0.032
595	0.036
596	0.036
597/1	0.113
598	0.049
599	0.053
600	0.020
618/1	0.036
620	0.053
617	0.049
616	0.028
614	0.053
613/1	0.028
607	0.121
427	0.097
426	0.049
432/2	0.040
425/3	0.004
425/1, 2	0.049
434	0.020
436	0.049
341	0.073
347	0.036
343	0.012
346	0.065
344	0.012
345	0.040
331/7	0.077
353/1	0.069
319/2	0.129
331/4	0.077
330/1	0.073
331/6	0.008
योग 38	1.880

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-महुआभाठा सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 664/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नया बाराद्वार, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.214 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	785/1	0.008
	783	0.089
	780/1	0.012
	781	0.105
योग	4	0.214

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-पलारी माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 665/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-झरना, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.109 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	127/1	0.089
	128/1	0.020
	129/2	0.202
	111/1	0.024
	131/1	0.105
	133	0.008
	110/7	0.077
	110/15	0.040
	135/2	0.073
	108/2	0.045
	108/3	0.045
	136/2	0.040
	137	0.109
	107/3	0.053
	102/7	0.053
	102/8	
	140/1	0.016
	140/4	0.053
	103/1	0.057
योग	18	1.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-झरना माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 666/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-दर्री बंजर, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.372 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	165	0.049
	164	0.024
	163	0.032
	168	0.008
	162	0.057
	161/2	0.012
	137	0.020
	161/1	0.028
	161/3	0.036
	138/1	0.049
	138/2	0.057
योग	11	0.372

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-झरना माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 667/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-झींका, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.705 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2/1	0.065
	17/1	0.138
	16	0.158
	15	0.069
	12	0.105
	23	0.061
	24	0.097
	25	0.012
योग	8	0.705

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-झींका माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 668/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नगरदा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.191 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
745/1	0.020
745/2	0.032
745/3	0.032
745/4	0.053
745/5	0.028
747/1	0.162
748/1	0.073
748/2	0.121
750/2	0.097
750/1	0.162
893/1	0.032
893/2	0.032
894	0.073
887/6	0.008
897/2	0.040
896	0.024
887/12	0.142
897/1	0.032
898	0.028
योग 19	1.191

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-झींका माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 669/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नगरदा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.729 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
174	0.061
176/1	0.146
186/2	0.036
186/1	0.061
185	0.049
184	0.061
188	0.174
190	0.069
191	0.020
221	0.012
199/1	0.040
योग 11	0.729

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-चारपारा सब माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 670/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-मुक्ताराजा, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.262 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
820/10	0.024
820/11	0.125
196/1	0.024
196/2	0.150
195	0.061
192/1	0.073
192/2	0.045
187 192/3	0.138
183/2	0.138
183/3	0.016
177	0.020
178	0.049
179/2 180/2	0.040
179/1 180/1	0.227
165/2	0.028
165/3	0.028
165/6	0.028
165/4	0.028
176	0.020
योग 19	1.262

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-पलारी सब माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 671/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-भुरकाडीह, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.470 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
285/4 285/3	0.069
285/6	0.040
282/3	0.004
282/1	0.069
282/2	0.061

(1)	(2)
278/1	0.012
279/3	0.081
279/1	0.061
279/2	0.073
योग 9	0.470

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-मौहाडीह माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 672/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-पलाड़ीकला, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.101 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
51	0.020
52	0.036
47/2	0.040
54	0.004
योग 4	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-पलाड़ी सब माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 673/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-खाम्हिया, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.655 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
182/1	0.016
183/2	0.138
200/1	0.028
200/2	0.097
201/2	0.186
228	
229	
233	0.190
योग 6	0.655

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-खाम्हिया सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 674/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-खाम्हिया, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.429 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	102/7	0.097
	35/3	0.012
	35/1	0.134
	35/5	0.057
	34/1	0.036
	34/4	0.085
	33	0.008
योग	8	0.429

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-लछनपुर माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 675/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-लछनपुर, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.492 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	96/2	0.057
	100/2	0.024
	99/2	0.032
	116/1	0.206
	115/3	0.028
	113/2	0.129
	112	0.008
	113/1	0.008
योग	8	0.492

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-लछनपुर माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 676/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हारी कला, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.412 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
88/1, 56/1	0.150
88/3	0.138
88/20	0.105
88/11	0.069
88/23	0.057
87	0.150
86/15	0.049
86/14	0.174
86/7	0.045
86/26	0.024
86/30	0.020
86/31	0.012
86/6	0.012
405/6	0.154
405/7	0.032
405/8	0.040
405/5	0.251
405/4	0.049
350/3	0.040
350/6	0.024
350/9	0.016
350/8	0.016
349/4	0.057
348/1	0.036
348/2	0.024
347/3	0.081
347/2	0.040
346/6	0.069
346/2	0.053
346/3	0.008
346/5	0.085
337/2	0.049
337/1	0.073
336	0.040
346/10	0.008
370/1	0.061
271/2, 272	0.045
350/25	0.032
351/1	0.016
270/7	0.008
योग 40	2.412

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-लछनपुर माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्रमांक 677/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तान्दुलडीह, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.353 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11	0.085
13	0.073
14/1	0.057
14/5	0.004
14/2	0.065
32	0.069
योग 6	0.353

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-तान्दुलडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2002

क्रमांक क/ख. लि./2002/595.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खनि रियायत नियमावली 1960 के नियम 59 के अंतर्गत नीचे लिखे सूची में दर्शाया गया क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के तीस दिन के पश्चात् चूना पत्थर मुख्य खनिज के आवंटन हेतु उपलब्ध रहेगा.

ग्राम का नाम (1)	प. ह. नं. (2)	तहसील (3)	खसरा नंबर (4)	रकबा (5)	अन्य विवरण (6)
जरौद	28/51	सिमगा	471/2	6.075 हेक्टर	शासकीय भूमि पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने पश्चात् खुला घोषित किया जा रहा है.

अमिताभ जैन,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 सितम्बर 2002

क्रमांक 19625/खनि/2002.—म. प्र. गौण खनिज नियम-1996 के नियम-12 के तहत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.) में नीचे दी गई तालिका में वर्णित क्षेत्र का इस विज्ञप्ति में छ. ग. राजपत्र में प्रकाशित होने के तीस दिवस के पश्चात् खनिज रियायत हेतु क्षेत्र उपलब्ध होंगे.

स.क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	ग्राम (4)	खसरा नं. (5)	रकबा (6)	खनिज (7)	भूमि का विवरण (8)
1.	जांजगीर-चाम्पा	जांजगीर	तरौद	2109/1 2112	2.45	चूना पत्थर	शासकीय भूमि
2.	जांजगीर-चाम्पा	जांजगीर	तरौद	2112	4.90	चूना पत्थर	शासकीय भूमि

मनोज कुमार पिंगुआ,
कलेक्टर.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल

कोरबा पश्चिम ताप विद्युत परियोजना चरण-तीन (2 × 250 मेगावाट)

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

संदर्भ :—मु. अ. (पीआरजी-2)/को.प./यथासंशोधित विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अनुच्छेद 29 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत परियोजना की अधिसूचना.

क्रमांक 3999/ऊवि/अ.अ.यं./2002.—यथासंशोधित विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 28 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल (इसे आगे सी.एस.ई.बी. कहा जायेगा) जिसका मुख्यालय डंगनिया, रायपुर (छत्तीसगढ़) में है, ने छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में कोरबा पश्चिम ताप विद्युत परियोजना चरण-
तीन, 2 × 250 मेगावाट (500 मे. वा.) के तहत एक कोयला आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थापना, निर्माण तथा प्रचालन संबंधी योजना तैयार की है.

और अतएव कथित अधिनियम की धारा 29 (2) के अधीन 2 × 250 मेगावाट की योजना को अंतिम रूप देने के पहले सी.एस.ई.बी. द्वारा ऐसी योजना से संबंधित राज्य के राजपत्र में एवं ऐसे स्थानीय समाचार पत्रों जिसे सी.एस.ई.बी. आवश्यक समझे, में प्रकाशित कराने की अपेक्षा होती है, अनुज्ञप्तिधारी एवं अन्य इच्छुक व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर अभ्यावेदन प्रेषित कर सकते हैं.

अब, अत: सी.एस.ई.बी. एतद्द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 29 (2) की शर्तों के अधीन उपरोक्त योजना का विवरण निम्नानुसार प्रकाशित करता है :—

1. **शीर्षक :**
योजना को कोरबा पश्चिम ताप विद्युत परियोजना चरण-तीन स्थापित क्षमता 2×250 मेगावाट (500 मेगावाट) कहा जायेगा.

2. **अवस्थिति :**
प्रस्तावित कोरबा पश्चिम ताप विद्युत परियोजना चरण-तीन के लिये संयंत्र सुविधा छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में सी.एस.ई.बी. के वर्तमान स्थापित क्षमता 4×210 मेगावाट वाले हसदेव ताप विद्युत गृह के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त भूमि पर निर्माण होना है लेकिन कोल स्टाक, इनटेक/मेकअप वाटर पंप हाउस तथा राखड़ बांध के लिए लगभग 300 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी जिसका अधिग्रहण नियमानुसार किया जावेगा.

3. **योजना की मुख्य विशेषताएं :**
प्रस्तावित कोरबा पश्चिम ताप विद्युत परियोजना चरण-तीन में संबंधित समस्त सुविधाओं, सहायक उपकरणों, स्विचयार्ड आदि सहित 2×250 मेगावाट की इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है.

(अ) **कोयले की आपूर्ति :** विद्युत संयंत्र के लिए कोयले का प्रदाय साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड, कोरबा से प्रस्तावित है. कोयले की ढुलाई सी.एस.ई.बी. द्वारा कनवेयर बेल्ट, रेल लाइन अथवा आवश्यकता होने पर सड़क परिवहन एवं अन्य परिवहन साधनों से की जाएगी.

(ब) **जल आपूर्ति :** परियोजना हेतु जल आपूर्ति जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ राज्य शासन कोरबा स्थित हसदेव बराज जलाशय से किया जाना प्रस्तावित है.

(स) **विद्युत का पारेषण :** परियोजना से उत्पादित विद्युत का पारेषण सी.एस.ई.बी. की वर्तमान 220 के.व्ही. तथा 400 के. व्ही. की लाइन/वर्तमान प्रणाली द्वारा किया जावेगा.

(द) **योजना की अनुमानित लागत :** प्रस्तावित योजना की वर्तमान में अनुमानित लागत 2054 करोड़ रुपये आंकलित है.

4. **लाभ :**

उक्त परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत छत्तीसगढ़ राज्य की आवश्यकता, जिसमें विद्युत की मांग व उपलब्धता के संतुलन को बनाते हुए राज्य में निरंतरता के साथ गुणवत्ता की विद्युत ऊर्जा प्रत्येक उपभोक्ता को प्रदाय हेतु अनिवार्य है. इस परियोजना से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में लाभ प्राप्त करना प्रस्तावित है बशर्ते कि अनिवार्य स्वीकृतियां प्राप्त हो जाये तथा वित्तीय व्यवस्था हेतु वित्तीय संस्थानों/बैंकों से अनुबंध करार हो जावे.

5. **विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम और भारतीय तार अधिनियम के अधीन सी.एस.ई.बी. की शक्तियां :**

यथासंशोधित विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अनुसरण में सी.एस.ई.बी. उक्त अधिनियम के अधीन उपरोक्त योजना के प्रयोजन के लिये सी.एस.ई.बी. में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, एतद्द्वारा यह भी अधिसूचित किया जाता है कि यथासंशोधित विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 42 के अनुसार सी.एस.ई.बी. को स्वीकृत योजना का प्रारंभ और निष्पादन करते समय विद्युत के पारेषण और वितरण के लिये तारों को बिछाने, खंभे, दीवाल, ब्रेकेट, पकड़ उपकरण और अन्य उपकरण लगाने की सभी शक्तियां होंगी और परियोजना के निर्माण कार्य के उचित समन्वय के लिये आवश्यक तार अथवा टेलीफोन संचार के पारेषण की भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 की अधिनियम संख्या 13) के भाग-3 के अधीन वे सभी शक्तियां होंगी जिन्हें तार प्राधिकरण एवं शासन द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित या इस प्रकार स्थापित, अनुरक्षित या इसी प्रकार स्थापित होने वाले हों. बशर्ते कि जहां स्वीकृत योजना यथा उपरोक्त ऐसी व्यवस्था नहीं करती वहां भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 12 से 19 तक के सभी उपबंध लागू होंगे.

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 29 (2) के अंतर्गत इसमें अभिरूचि रखने वाले किसी भी अनुज्ञप्तिधारी या अन्य किसी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति पत्र, इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो माह के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं. इसके बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के आदेशानुसार,

ए. एम. के. भरोस,
सचिव.

CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY BOARD

KORBA WEST THERMAL POWER PROJECT STAGE-THREE (2 x 250 MW)

Raipur, the 18th October 2002

Ref. :—CE (PRG-II)/KORBA WEST/Notifiction of the Scheme under Section 29 (2) of the Electricity (Supply) Act, 1948 amended.

No. 3999/ED/A.A.Y/2002.—WHEREAS in exercise of its power under Section 28 of the Electricity (Supply) Act, 1948, as amended, Chhattisgarh State Government, constituted Chhattisgarh State Electricity Board, (hereinafter referred to as "CSEB") having its H.Q. Dagania, Raipur (Chhattisgarh State) has prepared the Scheme relating to establishment, construction and operation of Coal based Generating Power Station of 2 x 250 MW (500 MW) Korba West Thermal Power Project Stage-Three.

AND WHEREAS, under Section 29 (2) of the said Act, the C.S.E.B., before finalization is required to cause such schemes to be published in the Official Gazette of the State concerned and in such local newspapers as the C.S.E.B. may consider necessary, the licensees and other persons interested may make representations within two months from the date of publication of this Notification.

NOW THEREFORE, CSEB hereby publishes the scheme in terms of Section 29 (2) of the aforesaid Act, as follows :—

1. **Title :**
The Scheme shall be called 2x250 MW (500 MW) Korba West Thermal Power Project Stage-Three.

2. **Location :**
The proposed plant facilities for Korba West Thermal Power Project Stage-Three would be located on the land available adjoining to the existing 4x210 MW Thermal Power Station of Chhattisgarh State Electricity Board. However approximately 300 Hectors of land is proposed to be acquired for coal, stock, intake/make up water pump house and ash dyke area. The land acquisition shall be done as per rule.

3. **Salient features of the Scheme :**
The proposed 2x250 MW (500 MW) Korba West Thermal Power Project, Stage-Three envisages setting up of 2x250 MW units along with all associated facilities, auxiliary equipment, Switchyard etc.

(a) **Coal Supply** : The Power station is envisaged to be supplied coal from SECL, Korba area and coal transportation is envisaged by Conveyer Belt, Rail/Road transport or any other transportation mode.

(b) **Water Linkage** : It is proposed that the water requirement of the project will be met from Hasdeo Barrage Govt. of Chhattisgarh Water Rêsource Department.

(c) **Power Evacuation** : Generated Electrical power shall be evacuated through our existing Power System & lines of 220 KV and 400 KV, if required additional lines may be laid as per rule.

(d) **Estimated Cost of the Scheme** : The estimated cost of the proposed Scheme is Rs. 2054 crores.

4. **Beneficiaries :**
Electrical power generated by this project shall be used for future development of the State of Chhattisgarh and to cope up the future demand and supply gap of electricity. The project is essential to supply electricity of good quality and continuously to all the consumers. It is proposed that the benefit of this power will be made available to the State in 11th Five Year Plan subjected to the statutory clearances & availability of funds and financial closure by financial institutions/Banks.

5. **Power of the CSEB under Electricity (Supply) Act and Indian Telegraph Act :**
In accordance with the Electricity (Supply) Act, 1948 as amended, CSEB shall exercise all the powers under the said Act, for the purpose of aforesaid scheme. It is also hereby notified that in terms of Section 42 of the Electricity (Supply) Act, 1948 as amended, CSEB while undertaking and executing the sanctioned scheme shall have all the powers of placing of any wires, poles, wall brackets, stays, apparatus and other appliances for transmission and distribution of the electricity or for the transmission of telegraphic, or telephonic communication necessary for the proper coordination of the works of CSEB, all the powers which the Telegraphic Authority possesses under the Part-III of the Indian Telegraph Act, 1885 (Act No. XIII of 1885) with regard to a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained. Provided that where a sanctioned scheme does not make such provision as aforesaid, all the provision of the Section 12 to 19 of the Indian Electricity Act, 1910 shall apply.

Notice is hereby given under-Section 29 (2) of the said Act that any licensee or other person so interested may make his/their representation of above scheme, if any, within two (2) months from the date of publication of this Notification after which no further representation will be considered.

By order of Chhattisgarh State Electricity Board,

A. M. K. BHAROS,
Secretary.